रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 264] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015 /MAGHA 15, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फ़रवरी, 2015

आय-कर

का.आ. 350(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख और धारा 92घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय कर नियम, 1962 में,—

(अ) भाग 2 में, विशेष मामलों से संबंधित उप भाग घ में,-

(1) नियम 10 घ में,-

(क) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, जहां तक यह नियम 10नजख में निर्दिष्ट किसी पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित है, नियम 10नजक में निर्दिष्ट किसी पात्र निर्धारिती के मामले में लागू होगी और उक्त पात्र निर्धारिती निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :--

(i) निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे उद्यमों द्वारा उसमें धारित शेयरों और अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा ;

(ii) निर्धारिती के कारबार का और उस उद्योग का, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है और उन सहयुक्त उद्यमों के, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, कारबार का विस्तृत विवरण ;

(iii) प्रत्येक सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग ;

(iv) विनियामक आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, यदि कोई हों, का अभिलेख और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में ऐसे आयोग के आदेश ;

(v) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुत: कार्य का अभिलेख ;

(vi) पूर्वानुमान, नीतियां तथा कीमत परक्रामण, यदि कोई हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो ;

(vii) कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जिसके अंतर्गत सहयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी या डाटा भी है, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो ।";

(ख) उपनियम (3) में, "उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपनियम (1) और उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में और उपनियम (4) के परंतुक में, "उपनियम (1) और (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपनियम (1) और उपनियम (2) और उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (5) में, "उपनियम (1) और (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपनियम (1) और उपनियम (2) और उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(2) नियम 10न के पश्चात्, शीर्षक में, "सुरक्षित आश्रय नियम" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के लिए सुरक्षित आश्रय नियम" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) नियम 10नछ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों के लिए सुरक्षित आश्रय नियम"

10नज. परिभाषाएं-इस नियम और नियम 10नजक से नियम 10नजघ के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "समुचित आयोग" का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 की उपधारा (4) में है ;

(ख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (45) में है ;

10नजक. पात्र निर्धारिती- "पात्र निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने नियम 10नजग के उपबंधों के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के लागू होने के लिए विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है और विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई कोई सरकारी कंपनी है ।

10नजख. पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार- "पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार" से किसी पात्र निर्धारिती द्वारा किया गया कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं,-

(i) किसी उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत का प्रदाय ; या

(ii) विद्युत का पारेषण ; या

(iii) विद्युत का चक्रण ।

सुरक्षित आश्रय

10नजग. (1) जहां किसी पात्र निर्धारिती ने किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है और उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 10नजघ के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया समझा गया है तो निर्धारिती द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे संव्यवहार की बाबत घोषित की गई अंतरण कीमत को, यदि यह उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, तो आय कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट होंगी :--

क्र. सं.	पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार	परिस्थितियां
1	2	3
1	नियम नजख की, यथास्थिति मद (i), (ii) या (iii) में निर्दिष्ट विद्युत का प्रदाय, विद्युत का पारेषण, विद्युत का चक्रण	यथास्थिति, विद्युत के प्रदाय, विद्युत के पारेषण, विद्युत के चक्रण की बाबत टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों के अनुसार समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया गया है ।

(3) धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन तुल्यता समायोजन और मोक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित और उपनियम (1) के अधीन स्वीकृत अंतरण कीमत के लिए नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत धारा 92घ और धारा 92ङ. के उपबंध इस तथ्य पर विचार किए बिना लागू होंगे कि निर्धारिती ने ऐसे संव्यवहार की बाबत सुरक्षित आश्रय के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है ।

प्रक्रिया

10नजघ. (1) सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप 3गड.चख सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पहले देगा :

परंतु यह तब जब निर्धारिती द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्ररूप 3गड.चख के दिए जाने की तारीख को या उससे पहले दे दी गई है :

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की बाबत निर्धारिती द्वारा प्ररूप 3गड.चख 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले दिया जा सकता है ।

(2) प्ररूप 3गड.चख की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प को विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया समझा जाए, यह सत्यापित करेगा कि क्या-

(i) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती पात्र निर्धारिती है ; और

(ii) वह संव्यवहार, जिसकी बाबत विकल्प का प्रयोग किया गया है, पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार है ।

(3) जहां निर्धारण अधिकारी को, निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प के विधिमान्य प्रयोग में संदेह है, तो वह निर्धारिती से लिखित सूचना द्वारा ऐसी जानकारी या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और निर्धारिती उन्हें ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा ।

(4) जहां-

(क) निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य नहीं देता है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी यह पाता है कि निर्धारिती कोई पात्र निर्धारिती नहीं है ; या

(ग) निर्धारण अधिकारी यह पाता है कि वह विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार, जिसकी बाबत उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, कोई पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार नहीं है; या

(घ) टैरिफ नियम 10नजग के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नहीं है,

तो निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अविधिमान्य घोषित करेगा और निर्धारिती पर उक्त आदेश की एक प्रति की तामील कराएगा :

परंतु निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अविधिमान्य घोषित किए जाने का आदेश निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) यदि निर्धारिती उपनियम (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा विकल्प को अविधिमान्य घोषित करने के विकल्प पर आक्षेप करता है तो वह निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अपने आक्षेप, यथास्थिति, उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक के समक्ष फाइल कर सकेगा, जिसका वह निर्धारण अधिकारी अधीनस्थ है ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आक्षेप की प्राप्ति पर, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक, निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता की बाबत या अन्यथा समुचित आदेश पारित करेगा और उक्त आदेश की एक प्रति निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी पर तामील कराएगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (4) के अधीन कोई आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा प्ररूप 3गड.चख प्राप्त किया गया है, तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ;

(ii) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक द्वारा उपनियम (6) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा नियम 5 के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल आक्षेप प्राप्त किया गया है, दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(8) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक, उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा ।' ;

(आ) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3गड.चअ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 3गड.चख

[नियम 10नचघ के उपनियम (1) देखिए]

विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की बाबत सुरक्षित आश्रय के विकल्प के लिए आवेदन

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी
.....
महोदय/महोदया,

मैं आय कर नियम 1962 के नियम 10नज से नियम 10नजघ के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 92गख के अधीन सुरक्षित आश्रय नियमों के विकल्प का प्रस्ताव करता हूं । इस संबंध में विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :

1. साधारण :
   (क) निर्धारिती का पूरा नाम :
   (ख) स्थायी लेखा संख्यांक :
   (ग) निर्धारिती का पता :
   (घ) कारबार की प्रकृति या निर्धारिती के कार्यकलाप :
   (ड.) प्रास्थिति :
   (च) निर्धारण वर्ष :
2. पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार :

क्र. सं.	पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां	टिप्पणियां
1.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10 नजख की मद (i) (ii) या मद (iii) में निर्दिष्ट विद्युत के प्रदाय, विद्युत के पारेषण या विद्युत के चक्रण की बाबत कोई भी विनिर्दिष्ट घरेलू	हां नहीं

	संव्यवहार किया है ? यदि हां, तो निम्नवत ब्यौरे दें (क) सहयुक्त उद्यम (एई) का नाम और पता, जिसके साथ पत्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है ? (ख) पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का विवरण । (ग) टैरिफ अवधारित करने वाले समुचित आयोग के सुसंगत आदेस के ब्यौरे । (घ) पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत प्राप्त या प्राप्य/संदत्त या संदेय रकम । (ङ) क्या अंतरण कीमत नियम 10 नजग के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है ।	हांनहीं/

मैं घोषित करता हूं कि इसमें दी गई जानकारी सही और सत्य कथित है ।

स्थान :
तारीख :

भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/हैसियत
पता

टिप्पण 1 - सहयुक्त उद्यम का वही अर्थ होगा जो नियम 10क के खंड (क) में दिया गया है ।
टिप्पण 2- आवेदन का सत्यापन धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।"।

[अधिसूचना सं.11/2015/फा. सं. 142/7/2014-टीपीएल]

आशीष कुमार, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 180(अ), तारीख 19-01-2015 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2015

INCOME–TAX

S.O. 350 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 92CB and 92D read with section 295 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (2nd Amendment), Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, —

(A) in Part-II, in sub-part D relating to special cases,—

(1) in rule 10 D—

(a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) Nothing contained in sub-rule (1), in so far as it relates to an eligible specified domestic transaction referred to in rule 10THB , shall apply in a case of an eligible assessee referred to in rule 10THA and, the said eligible assessee, shall keep and maintain the following information and documents, namely:-

(i) a description of the ownership structure of the assessee enterprise with details of shares or other ownership interest held therein by other enterprises;

(ii) a broad description of the business of the assessee and the industry in which the assessee operates, and of the business of the associated enterprises with whom the assessee has transacted;

(iii) the nature and terms (including prices) of specified domestic transactions entered into with each associated enterprise and the quantum and the value of each such transaction or class of such transaction;

(iv) a record of proceedings if any before the regulatory commission and orders of such commission relating to the specified domestic transaction;

(v) a record of the actual working carried out for determining the transfer price of the specified domestic transaction;

(vi) the assumptions, policies and price negotiations, if any, which have critically affected the determination of the transfer price;

(vii) any other information, data or document, including information or data relating to the associated enterprise, which may be relevant for determination of the transfer price.";

(b) in sub-rule (3), for the word, brackets and figure "sub-rule (1)", the word, brackets, figures and letter "sub-rules (1) and (2A)" shall be substituted;

(c) in sub-rule (4) and in the proviso to sub-rule (4), for the words, brackets and figures"sub-rules (1) and (2)", wherever they occur, the words, brackets, figures and letter "sub-rules (1), (2) and (2A)" shall be substituted;

(d) in sub-rule (5), for the words, brackets and figures "sub-rules (1) and (2)", the words, brackets, figures and letter "sub-rules (1), (2) and (2A)" shall be substituted;

(2) after rule 10T, in the heading, for the words "Safe Harbour Rules", the words " Safe Harbour Rules for International Transactions" shall be substituted;

(3) after rule 10TG, the following rules shall be inserted, namely:—

'"Safe Harbour Rules for Specified Domestic Transactions"

10TH. Definitions.- For the purposes of this rule and rules 10THA to 10THD,-

(a) "Appropriate Commission" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (4) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Government company" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

10THA. **Eligible assessee.–**The 'eligible assessee' means a person who has exercised a valid option for application of safe harbour rules in accordance with the provisions of rule 10THC, and is a Government company engaged in the business of generation, transmission or distribution of electricity.

10THB. **Eligible specified domestic transaction.–**The **"**Eligible specified domestic transaction" means a specified domestic transaction undertaken by an eligible asseessee and which comprises of :-

(i) supply of electricity by a generating company; or

(ii) transmission of electricity; or

(iii) wheeling of electricity.

Safe Harbour

10THC. (1) Where an eligible assessee has entered into an eligible specified domestic transaction in any previous year relevant to an assessment year and the option exercised by the said assessee is treated to be validly exercised under rule 10THD, the transfer price declared by the assessee in respect of such transaction for that assessment year shall be accepted by the income-tax authorities, if it is in accordance with the circumstances as specified in sub-rule (2).

(2) The circumstances referred to in sub-rule (1) in respect of the eligible specified domestic transaction specified in column (2) of the Table below shall be as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

S. No.	Eligible specified domestic Transaction	Circumstances
1	2	3
1	Supply of electricity, transmission of electricity, wheeling of electricity referred to in item (i), (ii) or (iii) of rule THB, as the case may be.	The tariff in respect of supply of electricity, transmission of electricity, wheeling of electricity, as the case may be, is determined by the Appropriate Commission in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

(3) No comparability adjustment and allowance under the second proviso to sub-section (2) of section 92C shall be made to the transfer price declared by the eligible assessee and accepted under sub-rule (1).

(4) The provisions of sections 92D and 92E in respect of a specified domestic transaction shall apply irrespective of the fact that the assessee exercises his option for safe harbour in respect of such transaction.

Procedure

10 THD. (1) For the purposes of exercise of the option for safe harbour, the assessee shall furnish a Form 3CEFB, complete in all respects, to the Assessing Officer on or before the due date specified in Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 for furnishing the return of income for the relevant assessment year :

Provided that the return of income for the relevant assessment year is furnished by the assessee on or before the date of furnishing of Form 3CEFB:

Provided further that in respect of eligible specified domestic transactions undertaken during the previous year relevant to the assessment year beginning on the 1st day of April, 2013 or beginning on the 1st day of April, 2014, Form 3CEFB can be furnished by the assessee on or before the 31st day of March, 2015.

(2) On receipt of Form 3CEFB, the Assessing Officer shall verify whether-

(i) the assessee exercising the option is an eligible assessee; and

(ii) the transaction in respect of which the option is exercised is an eligible specified domestic transaction,

before the option for safe harbour by the assessee is treated to be validly exercised.

(3) Where the Assessing Officer doubts the valid exercise of the option for the safe harbour by an assessee, he may require the assessee, by notice in writing, to furnish such information or documents or other evidence as he may consider necessary, and the assessee shall furnish the same within the time specified in such notice.

(4) Where-

(a) the assessee does not furnish the information or documents or other evidence required by the Assessing Officer; or

(b) the Assessing Officer finds that the assessee is not an eligible assessee; or

(c) the Assessing Officer finds that the specified domestic transaction in respect of which the option referred to in sub-rule (1) has been exercised is not an eligible specified domestic transaction; or

(d) the tariff is not in accordance with the circumstances specified in sub-rule (2) of rule 10THC,

the Assessing Officer shall, by order in writing, declare the option exercised by the assessee under sub-rule (1) to be invalid and cause a copy of the said order to be served on the assessee:

Provided that no order declaring the option exercised by the assessee to be invalid shall be passed without giving an opportunity of being heard to the assessee.

(5) If the assessee objects to the order of the Assessing Officer under sub-rule (4) declaring the option to be invalid, he may file his objections with the Principal Commissioner or the Commissioner or the Principal Director or the Director, as the case may be, to whom the Assessing Officer is subordinate, within fifteen days of receipt of the order of the Assessing Officer.

(6) On receipt of the objection referred to in sub-rule (5), the Principal Commissioner or the Commissioner or the Principal Director or the Director, as the case may be, shall after providing an opportunity of being heard to the assessee, pass appropriate orders in respect of the validity or otherwise of the option exercised by the assessee and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer.

(7) For the purposes of this rule,-

(i) no order under sub-rule (4) shall be made by an Assessing Officer after expiry of a period of three months from the end of the month in which Form 3CEFB is received by him;

(ii) the order under sub-rule (6) shall be passed by the Principal Commissioner or Commissioner or Principal Director or Director, as the case may be, within a period of two months from the end of the month in which the objection filed by the assessee under sub-rule (5) is received by him.

(8) If the Assessing Officer or the Principal Commissioner or the Commissioner or the Principal Director or the Director, as the case may be, does not pass an order within the time specified in sub-rule (7), then the option for safe harbour exercised by the assessee shall be treated as valid.';

(B) in Appendix II, after Form No. 3CEFA, the following Form shall be inserted, namely:-

"**Form No. 3CEFB**

(See sub-rule (1) of rule 10THD)

Application for Opting for Safe Harbour in respect of Specified Domestic Transactions

To,

The Assessing Officer

……..

Sir/Madam,

I propose to opt for the safe harbour rules under section 92CB of the Income-tax Act, 1961 read with rules 10TH to 10THD of the Income-tax Rules, 1962. In this regard the particulars are as under:

1. General :
   (a) Full name of the assessee:
   (b) Permanent Account Number:
   (c) Address of the assessee:
   (d) Nature of business or activities of the assessee:
   (e) Status
   (f) Assessment Year

2. Eligible Specified Domestic Transaction:

Sl. No.	Particulars in respect of eligible specified domestic transaction	Remarks
1.	Has the eligible assessee entered into any specified domestic transaction in respect of supply of electricity, transmission of electricity or wheeling of electricity referred in item (i), (ii) or (iii) of Rule 10THB? If Yes, provide the following details: (a) Name and address of the associated enterprises (AE) with whom the eligible specified domestic transaction has been entered into. (b) Description of the eligible specified domestic transaction. (c) Details of relevant order of the Appropriate Commission determining the tariff. (d) Amount received or receivable/paid or payable in respect of the eligible specified domestic transaction. (e) Whether transfer price is in accordance with the circumstances specified under rule 10THC.	Yes/No Yes/No

I declare that the information furnished herein is correct and truly stated.

Yours faithfully,

Place:
Date:

Signature
Name
Designation/Capacity
Address

Note 1.- Associated enterprise shall have the same meaning as provided in clause (a) of rule 10A.

Note 2.- The application shall be verified by the person authorised to verify the return of income under section 140.".

[Notification No. 11/2015/F. No. 142/7/2014-TPL]
ASHISH KUMAR, Director (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number S.O. 180(E), dated the 19-01-2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.